न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 18/2024

(GCMS 2024/25)(212600811813891)

Vikas Godara, Village Keharwala VPO Chauwali, Tehsil Tibbi, Distt. Hanumangarh, Rajasthan – 335524, Mukhya Gali, 10 RWD, Chahuwali, Tibbi, Hanumangarh

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

11.04.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री विकास गोदारा स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 03.01.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एक बिन्दु की सूचना चाही थी। जो लोक सूचना अधिकारी उसे आज दिनांक तक सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी विकास गोदारा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.01.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी:

> Please note that I, Vikash Godara, bought the Agricultural land from Birma Devi W/o Daulat Ram in Feb. 2019. Request you to please advise the date of sale deed registration of this agriculture land in favour of Birma Devi W/o Daulat Ram from Rampartap. Also Please give the copy of sale deed registration in favour Birma Devi. Registered and attested copy is required. I will pay the required additional fees for this information through this online portal or as advised by the SR office chunawad/Tehsildar Office SGNR. Following are the details of Agricultural land.
>
> ग्राम का नाम 2 एफ छोटी, पटवार हल्का 18 जीजी, भू.अभि.निरीक्षक गोविंदपुरा तहसील गंगानगर SR Offic[illegible]vad जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या नया 53, [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.07.31 16:47:45 IST
Reason: SelfAttested

उप तहसीलदार, चूनाव[illegible]जीयन/24/71 दि[illegible]6.06.2024 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किय[illegible] है:

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

विषयान्तर्गत निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत विकास गोदारा द्वारा चाही गई सूचना पूर्व में श्रीमान् तहसीलदार महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा चाही गई थी, जो कि दिनांक 29.01.2023 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय को भिजवा दी गई थी। पुनः दिनांक 04.06.2024 को उक्त सूचना विकास गोदारा को जरिए डाक भिजवाई जा चुकी है। सूचना श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रस्तुत है।

-sd-
उपतहसीलदार
चूनावढ़

उप तहसीलदार, चूनावढ़ ने अपने पत्रांक पंजीयन/24/64 दिनांक 04.06.2024 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

ऑनलाईन प्राप्त सूचना का अधिकार सूचना उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ), राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.20(84)प्रसु/सूअप्र/2009 पार्ट दिनांक 12.10.18 के अनुसार ''पंजीयन अधिनियम 1908 के तहत पंजीकृत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम लागू नहीं होते है। पंजीकृत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए शुल्क निर्धारित है लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित शुल्क काफी कम है। अतः यदि किसी विशेष अधिनियम में निरीक्षण हेतु कोई विशेष शुल्क निर्धारित है तो ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु फीस लेने के संबंध में अधिनियम 2005 के प्रावधान लागू न होकर उक्त विशेष अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। अतः संलग्न सूचना देय नहीं है।

संलग्न : प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 12.10.18 की छायाप्रति।

-sd-
उपतहसीलदार
चूनावढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.07.31 16:47:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उप तहसीलदार, चूनावढ़ ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब प्रेषित किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ), राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.20(84)प्रसु/सूअप्र/2009पार्ट दिनांक 12.10.2018 का अवलोकन किया गया, जो निम्नानुसार अवलोकनीय है:

परिपत्र

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि पंजीयन अधिनियम 1908 के तहत पंजीकृत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए शुल्क निर्धारित है, एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए भी शुल्क निर्धारित है, लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित शुल्क काफी कम है, शुल्क के अंतर का फायदा उठाने के लिए लोग पंजीकृत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने के लिए आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते है, जिससे राजस्व को हानि होती है।

विभाग द्वारा विधि विभाग से इस सम्बन्ध में राय प्राप्त की गई। विधि विभाग द्वारा निम्न राय दी गई है:

"यदि किसी विशेष अधिनियम में दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु कोई विशेष शुल्क निर्धारित है, तो ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु फीस लेने के संबंध में अधिनियम 2005 के प्रावधान लागू न होकर , उक्त विशेष अधिनियम के प्रावधान लागू होगे।"

अतः समस्त लोक प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि विधि विभाग की उक्त राय का अनुपालन करते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.07.31 16:47:45 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
(विशंकर श्रीवास्तव)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ), राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.20(84)प्रसु/सूअप्र/2009पार्ट दिनांक 12.10.2018 के उक्त परिपत्र के अनुसार पंजीयन अधिनियम 1908 के तहत पंजीकृत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए शुल्क निर्धारित है, इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, 2005 के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, पंजीयन अधिनियम 1908 में निर्धारित शुल्क से सूचना देय होगी। इसलिए अपीलार्थी पंजीयन अधिनियम 1908 के तहत निर्धारित शुल्क राजकोष में जमा कर सूचना ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए उप तहसीलदार, चूनावढ़ को आदेशित किया जाता है अपीलार्थी यदि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पुनः आवेदन प्रस्तुत करें, तो उसे उक्त प्रावधानानुसार सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर एवं उप तहसीलदार, चूनावढ़** को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.07.31 16:47:45 IST
Reason: SelfAttested